तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अजं इनिशियल्स जज **मफा वगैरह बनाम बाबूलाल वगैरह, मुकदमा संख्या – 04 / 2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
23.06.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा गोलासन तहसील सांचौर के खेत खसरा नंबर 53 रकबा 32 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 96 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नंबर 85 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 86 रकबा 1.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 170 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 171 रकबा 1.66 हैक्टेयर के आये हुए है। उपरोक्त सभी खेत प्रार्थीगण के पैतृक संपति के खेत है तथा पुराने खसरा नंबर 95 रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा अप्रार्थीगण को मृत श्री भभूता के गोद चले जाने पर मिले है। जिसके नवनी खसरा नंबर 166, 172 रकबा 6.50 हैक्टेयर है इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अलग अलग खेत आये हुए है। वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 85, 86, 170, 171 का हकतर्क नामा अप्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थीगण के हक में करवा दिया है इसके पश्चात अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा, कब्जा काश्त नहीं रहता है। ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टि में केस प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है लेकिन हकतर्कनामा के आधार प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज न होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बैदखल करना चाहते है और यदि ऐसा करने में अप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका प्रार्थीगण उचित मुआवजा नहीं पा सकेगे तथा प्रार्थीगण के वाद मक्षद ही असफल हो जायेगा। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने न्याय संगत है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि सरहद मौजा गोलासन के खेत खसरा नंबर 85 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 86 रकबा 1.43 हैक्टैयर, खसरा नंबर 170 रकबा 0.07 हैक्टैयर, खसरा नंबर 171 रकबा 1.66 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे तथा वाद के अंतिम निस्तारण तक बैचान, रहन या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण वगैरह नहीं करे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 1ई उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि खसरा नंबर 85, 86, 170, 171 की भूमि हमारे पिता द्वारा आम्बा पुत्र धर्मा से खरीद की गई है। जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हमारे पिता प्रतापा ने अपने जीवनकाल में खसरा संख्या 85, 86, 170, 171 की भूमि आम्बा पुत्र धर्मा कौम ब्राह्मण से खरीद की है। खरीद की गई भूमि पैतृक संपति	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

की ताईद में नहीं आती है। प्रार्थीगण ने मूल दावा एवं हस्तगत प्रार्थना–पत्र खसरा संख्या 85, 86, 170, 171 की भूमि पैतृक भूमि बताकर पेश किया है जो सरासर गलत है। राजस्व रेकर्ड की अनुसार हमारे पिता के नाम दर्ज की गई भूमि खरीददार के रूप में दर्ज की गई है। खरीद की गई भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थीगण का कोई हक दावा नहीं बनता है जिसके कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्ट्या मामला के अभाव में खारिज करने का आदेश फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थीगण के मौजा गोलासन पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 85, 86, 170, 171 में अप्रार्थीगण दखलंदाजी नहीं करें तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested